विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

Letter No. 90 dtd 16/4/26

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/21
दिनांक 23.02.2026

कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिका निगम, भिलाई
बी.पी. नं. **1002033142**, मो नं. **9406180980**

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (शहर) पश्चिम संभाग
   छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., भिलाई
2. सहायक अभियंता नेहरूनगर जोन
   छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., भिलाई

अनावेदकगण

विषय :–उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन हेतु स्थापित मीटर के रीडिंग में विसंगति के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 15.04.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

नगर निगम भिलाई द्वारा सड़क बत्ती प्रायोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी. नं. 1002033142 में मीटर रीडिंग विसंगति के संबंध में अवगत कराया गया है, जिसके कारण उपभोक्ता को गलत बिल जारी होता रहा। उपभोक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त कनेक्शन के विरूद्ध स्वीकृत भार भी नही बढ़ाया गया जिसके कारण उपभोक्ता को अधिक मांग के विरूद्ध पेनाल्टी बिलिंग भी जारी रहा। उक्त संबंध में आनलाइन आवेदन दिनांक 20.02.26 को सी.जी.आर.एफ. रायपुर में दर्ज किया गया जो कि सी.जी. आर.एफ. रायपुर के क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण दुर्ग को स्थानांतरित किया

किया गया। सी.जी.आर.एफ. दुर्ग में उक्त आवेदन को प्रकरण कमांक 21 दिनांक 23.02.2026 के अंतर्गत दर्ज करते हुए सुनवाई आरंभ की गई।

2. आवेदक द्वारा प्रथम सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कथन

दिनांक 03.03.2026 को प्रथम सुनवाई के दौरान आवेदक नगर निगम भिलाई की ओर से श्री अजित तिग्गा अधीक्षण यंत्री, श्री वेषराम सिन्हा कार्यपालन यंत्री एवं श्री पलास वैद्य सब इंजिनियर नगर निगम भिलाई उपस्थित हुए एवं श्री नवीन राठी कार्यपालन अभियंता नगर पश्चिम संभाग भिलाई उपस्थित हुए।

आवेदक गण द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती प्रायोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी. कमांक 1002033142 स्वीकृत भार 11 कि.वा. माह नवम्बर–23 से अक्टूबर–25 तक (अक्टूबर–25 को उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया) की गयी बिलिंग में अधिकतम मांग 11 कि.वा. से ज्यादा दर्ज होते रहा एवं प्रचलित टेरिफ आदेश के तहत् उक्त बढ़े हुए मांग के अनुसार स्वीकृत भार में स्वतः निर्धारण न होने के कारण आवेदक को हर महिने अधिकतम मांग के अनुसार पेनाल्टी बिलिंग होता रहा। अतः आवेदक गण द्वारा फोरम दुर्ग के समक्ष उक्त प्रकरण का निराकरण करते हुए सही बिल उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया गया है।

फोरम दुर्ग द्वारा अनावेदक गण कार्यपालन अभियंता (नगर पश्चिम) संभाग भिलाई को प्रकरण के संबंध में संपूर्ण जानकारी एवं बिलिंग गणना पत्रक सहित अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

3. अनावेदक के द्वारा द्वितीय सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कथन

दिनांक 11.03.2026 को उक्त प्रकरण के द्वितीय सुनवाई के दौरान अनावेदक श्री मनीष चंदवंशी सहायक अभियंता नेहरूनगर जोन छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., भिलाई द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया:–

1) नगर निगम भिलाई द्वारा भेलवा तालाब में स्थित उद्यान में स्थित सड़क बत्ती में विद्युत प्रदान करने हेतु सड़क बत्ती कनेक्शन दिया गया है जिसका बी.पी. कमांक 1002033142 है।

छत्तीसगढ़ उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

2) उक्त संबंध में सहायक यंत्री द्वारा उपलब्ध कराये गये मीटर गणना पत्रक का अवलोकन करने पर उपरोक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर माह नवम्बर–2025 से स्थापित किया जाना पाया गया।

3) मीटर रीडिंग गणना पत्रक का परीक्षण करने पर नवम्बर–23 से विभिन्न महिनों में अधिकतम भार 13 कि.वा. से 16 कि.वा. के बीच में पाया गया जबकि उपभोक्ता का स्वीकृत भार 11 कि.वा. निर्धारित था एवं उक्त अधिकतम मांग के अनुसार उपभोक्ता को निरंतर पेनाल्टी बिल जारी होता रहा जो कि प्रचलित टेरिफ आदेशों के प्रावधानानुसार नही पाया गया। अतः कार्यपालन यंत्री नगर संभाग पश्चिम भिलाई एवं सहायक यंत्री नेहरूनगर जोन को उक्त संबंध में अगली सुनवाई के दौरान अपना कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

4) दिनांक 19.03.26 को हुई तृतीय सुनवाई के दौरान कार्यपालन यंत्री नगर संभाग पश्चिम भिलाई एवं सहायक यंत्री नेहरूनगर जोन द्वारा अपना कथन प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है:–

अनावेदक गण का कथन है कि उक्त विद्युत कनेक्शन भेलवा तालाब गुरूद्वारा नेहरू नगर के बगल में स्थित उद्यान के प्रकाश व्यवस्था हेतु स्थापित है। उक्त परिसर में मीटर रीडर द्वारा रीडिंग लिये जाने पर अधिकतर परिसर में ताला बंद रहता है एवं मीटर रीडर द्वारा नगर निगम के कर्मचारी को फोन कर बुलाने पर ही रीडिंग लिया जाना संभव हो पाता है। मई–25 में खपत 3 यूनिट जुन–25 में 4 यूनिट, जुलाई–25 में 0 यूनिट खपत दर्ज की गयी है।

माह सित–25 में पुराना मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया गया जिसके प्श्चात् माह सितम्बर से डोर लॉक का बिल सुधारकर बिल संशोधित किया गया। वर्तमान में उक्त उपभाक्ता का स्वीकृत भार 18 किलोवाट है लेकिन कनेक्टेड लोड निरीक्षण करने पर मात्र 6 किलोवाट लोड पाया गया है।

4. फोरम द्वारा परीक्षण एवं विश्लेषण

उक्त प्रकरण के संबंध में फोरम के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है:–

(अ) क्या उपभोक्ता के कनेक्शन के विरूद्ध स्वीकृत भार का अधिकतम मांग के अनुसार पुनर्निर्धारण विद्युत आचार संहिता के प्रावधानों एवं प्रचलित टेरिफ आदेशों के अनुरूप था

उपरोक्त बिन्दुओं पर परीक्षण एवं विश्लेषण करने से पूर्व विद्युत आचार संहिता– 2011 के अंतर्गत उक्त प्रकरण से संबंधित प्रावधानों का अवलोकन किया गया जो कि निम्नानुसार है:–

"11.27 The cases related to enhancement of load / exceeding the contact demand by the consumer shall be dealt as per the provision of relevant tariff order"

1. वित वर्ष 2021–22 हेतु जारी टेरिफ आदेश में निम्नदाब उपभोक्ताओं के स्वीकृत भार के स्वतः निर्धारण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है जिसके अनुसार यदि उपभोक्ता के मीटर में दर्ज मांग लगातार तीन महिनों तक स्वीकृत भार से अधिक दर्ज होता है तो अधिकतम मांग स्वतः ही स्वीकृत भार के रूप में पुनर्स्थापित हो जायेगा। दिनांक 02.08.21 को जारी टेरिफ आदेश का प्रासंगिक पैरा निम्नानुसार है:–

"For all LV categories for whom Fixed Charges are applicable on the basis of Connected Load, if the Recorded Demand exceeds the Connected Load for any three consecutive months, then the Connected Load shall automatically be restated to the highest demand recorded in these three months. In such cases of upward restatement of Connected Load, the load enhancement charges shall be applicable; however, the Security Deposit shall not be required to be increased correspondingly. Also, if the Recorded Demand is lower than the Connected Load for any three consecutive months, then the Connected Load can be restated to the highest demand recorded in these three months at the option of the consumer."

उपरोक्त प्रावधान वर्ष 2021–22 के लिए जारी टेरिफ आदेश में शामिल किया गया था एवं वर्ष 2021–22 के बाद भी जारी सभी टेरिफ आदेशों के अनुसार अभी भी लागू है।

(अ) उक्त प्रकरण के संबंध में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत कथन एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत कथन एवं दस्तावेजों का परीक्षण व विश्लेषण करने पर निम्नानुसार तथ्य प्राप्त हुए:–

1) सहायक यंत्री द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक एवं मीटर डायरी का अवलोकन करने पर मीटर रीडिंग एवं अधिकतम मांग के दर्ज करने के संबंध में विसंगतियां पायी गयी जो निम्नानुसार है:–

   a. दिस–23, जन–24, फर–24, मार्च–24, अप्रेल–24, मई–24 में कमशः अधिकतम मांग 13.00 कि.वा., 14.00 कि.वा., 15.00 कि.वा., 16.00 कि.वा., 16.00 कि.वा., 16.00 कि.वा. दर्ज किया गया है। अतः उपभोक्ता के स्वीकृत भार उक्त अधिकतम मांग के अनुसार स्वतः निर्धारित हो जाना था।

छत्तीसगढ़ उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

माननीय नियामक आयोग द्वारा स्वप्रेरित याचिका कमांक 57/2024 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 16.08.24 के अनुसार –

"3. In the tariff order for FY 2021–2022, the Commission has for the first time included provisions pertaining to the automatic revision of sanctioned load of LV consumers if their recorded demand exceeds the sanctioned load for any three consecutive months. Relevant para 30(f) of this tariff order dated 02.08.2021 is reproduced below; "For all LV categories for whom Fixed Charges are applicable on the basis of Connected Load, if the Recorded Demand exceeds the Connected Load for any three consecutive months, then the Connected Load shall automatically be restated to the highest demand recorded in these three months. In such cases of upward restatement of Connected Load, the load enhancement charges shall be applicable; however, the Security Deposit shall not be required to be increased correspondingly. Also, if the Recorded Demand is lower than the Connected Load for any three consecutive months, then the Connected Load can be restated to the highest demand recorded in these three months at the option of the consumer." 4. Furthermore, in the notes of para 12.1.1, 12.1.2 and 12.1.6 of the tariff order FY 2021-22, it is specifically mentioned as under: "If the Recorded Demand exceeds the Connected Load for any three consecutive months, then the Connected Load shall automatically be restated to the highest demand recorded in these three months. In such cases of upward restatement of Connected Load, the load enhancement Page 3 of 5 charges shall be applicable; however, the Security Deposit shall not be required to be increased correspondingly. If the Recorded Demand is lower than the Connected Load for any three consecutive months, then the Connected Load can be restated to the highest demand recorded in these three months at the option of the consumer." 5. In order to effectively execute the conditions of automatic revision of sanctioned load of LV consumers mentioned in the tariff order dated 02.08.2021, the Commission issued appropriate clarifications through order dated 13.08.2021 in Suo-motu Petition no. 38 of 2021. Relevant para of the Order is reproduced below; "II. In order to avoid multiplicity in general provisions applicable to other LV categories i.e. LV2, LV3, LV4, LV5 & LV7, Para No. (iii) and (iv) of 1.1.11(1) shall have no relevance. III. Considering difficulty in billing of excess supply provision at Para No. 1.1.11(2)(iii) shall have no relevance." 6. Further, in the tariff order dated 13.04.2022 for the FY 2022-23, the Commission preferred to replace the term "Connected Load" with "Sanctioned Load" for the purpose of clarity in the tariff schedule of LV category consumers. Following that, the Commission issued corrigendum order dated 28.04.2022 for tariff order of FY 2022-23 on similar line as it was issued for the FY 2021-22. Relevant paras of the corrigendum order dated

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

28.04.2022 for FY 2022-23, are as under: "8. Sub-sub para (iii) and (iv) of sub-para (1) of para 1.1.11 of the Tariff Schedule for FY 2022-23 shall be deleted; 9. Sub-sub para (iii) of sub-para (2) of para 1.1.11 of the Tariff Schedule for FY 2022-23 shall be deleted;" Page 4 of 5 7. The aforementioned provisions stipulated in para 3 of this instant order, makes it clear that the Commission made the cautious decision to exclude all demand-based LV tariff consumers from the automatic adjustment provisions of the sanctioned load, if their recorded demand exceeds the sanctioned load for any three consecutive months. Also, the harmonious reading of the provisions stated in para 3, 4, 5 and 6 of this instant order further clearly indicates that only the connected load-based (sanctioned load-based) LV-1, LV-2 and LV-6 tariff category consumers are covered under automatic adjustment provisions of the sanctioned load if their recorded demand exceeds the sanctioned load for any three consecutive months. Alternatively, it can be stated that only LV-1, LV-2.1 and LV-6 tariff category consumer, which are specifically mentioned, are covered under automatic adjustment provisions of the sanctioned load if their recorded demand exceeds the sanctioned load for any three consecutive months. 8. However, the tariff order for FY 2023-24 and FY 2024-25 did not reflect the Commission's intended objective. The CSPDCL also did not highlight this disparity in tariff order for FY 2023–24 earlier. It has been brought in the knowledge of the Commission by the CSPDCL vide its letter dated 08.08.2024. In the light of the above, in order to remove difficulty in implementation of tariff order for FY 2023-24 and FY 2024-25: (a) Sub-sub para (iii) and (iv) of sub para (1) of para 11.1.11 of the tariff schedule of detailed tariff order for FY 2023-24 shall be deleted; (b) Sub-sub para (iii) of sub para (2) of para 11.1.11 of the tariff schedule of detailed tariff order for FY 2023- 24 shall be deleted; (c) Sub-sub para (iii) and (iv) of sub para (1) of para 11.1.11 of the tariff schedule of detailed tariff order for FY 2024-25 shall be deleted; Page 5 of 5 (d) Sub-sub para (iii) of sub para (2) of para 11.1.11 of the tariff schedule of detailed tariff order for FY 2024- 25 shall be deleted; (e) Words (LV-2.2 /LV-4.2/LV-5) wherever appearing in sub-para (i) of para 11.1.11 (2) of tariff order for FY 2023-24 shall be read as (LV2.2 /LV-4.2/LV-5/LV-7). (f) Words (LV-2.2 /LV-4.2/LV-5) wherever appearing in sub-para (i) of para 11.1.11 (2) of tariff order for FY 2024-25 shall be read as (LV2.2 /LV-4.2/LV-5/LV-7)."

अतः माननीय नियामक आयोग द्वारा उक्त स्वप्रेरित याचिका पर जारी आदेश के अनुसार उपभोक्ता के लिए स्थापित सड़क बत्ती प्रायोजन में यदि उपभोक्ता के अधिकतम मांग के अनुसार स्वतः स्वीकृत भार का निर्धारण किया जाना था का प्रावधान विलोपित कर दिया गया है।

5. निष्कर्ष

उपरोक्तानुसार फोरम का निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

1. वर्ष 2021–22 के लिए दिनांक 01.08.21 को जारी टेरिफ आदेश मे दिये गये प्रावधान के अनुसार उपभोक्ता के स्वीकृत भार में मीटर में दर्ज मांग लगातार 3 महिनों तक अधिक रहने पर स्वीकृत भार पुनर्स्थापित किया जाना है। अतः इस प्रकरण में दिसम्बर–23, जनवरी–24, फरवरी–24 को अधिकतम भार क्रमशः 13 कि.वा., 14 कि. वा, 15 कि.वा दर्ज की गयी। मार्च–24, अप्रल–24, मई–24 को अधिकतम भार 16 कि.वा, 16 कि.वा, 16 कि.वा दर्ज की गयी। अतः प्रचलित टेरिफ आदेश में दिये गये प्रावधान के मार्च 2024 से 15 किलोवाट एवं जुन 2024 से 16 किलोवाट उपभोक्ता का स्वीकृत भार स्वनिर्धारित हो जाना था।

अतः उपरोक्तानुसार संशोधित बिल उपभोक्ता को जारी किया जाना उचित होगा एवं उक्त अवधि में उपभोक्ता को जारी विद्युत बिल मे अधिकतम मांग के विरूद्ध जारी पेनाल्टी बिलिंग को निरस्त किया जाना उचित होगा।

6. आदेश

उपरोक्त तथ्यों एवं परीक्षण के आधार पर फोरम द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता हैः–

1. उपभोक्ता के सड़क बत्ती प्रायोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन का बिलिंग नियामक आयोग द्वारा जारी टेरिफ आदेशों में किये गये संशोधन कर उपरोक्त अवधि में की गई पेनाल्टी बिलिंग को निरस्त किया जाता है।
2. उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त सड़क बत्ती प्रायोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन के भार वृद्धि/कमी हेतु विद्युत आचार संहिता 2011 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन करने पर अनावेदक गण द्वारा नियमानुसार भार परिवर्तन किया जाना सुनिश्चित करें।
3. उपभोक्ता को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कनेक्शन के विरूद्ध लंबित देयकों को उपरोक्तानुसार संशोधित बिल जारी होने पर तत्काल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
4. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।
5. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

6. उपरोक्त आदेश का परिपालन पूर्ण कर प्रतिवादी को 15 दिन के भीतर फोरम कार्यालय को लिखित में सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

7. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेष से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग